जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

प्रेषक :
कुलसचिव,
जीवाजी विश्वविद्यालय
ग्वालियर

ग्राम : यूनीवर्सिटी
दूरभाष : 0091-(0751) 2442801 (कार्यालय)
2442462 (निवास)
फैक्स : (0091-0751-2341768
E-mail : jureg_gwl@rediffmail.Com
Website :http://www.jiwaji.edu/

क्रमांक : एफ/सम्बद्धता/2020/6408

दिनांक : 13-03-2020

निरीक्षण समितियों हेतु आवश्यक निर्देश

1. निरीक्षण समितियां निरीक्षण दिनांक को ही निरीक्षण प्रतिवेदन तैयार कर अगले कार्यदिवस में डी.सी.डी.सी. कार्यालय में जमा करेंगी।
2. सभी कमेटी मेम्बर निरीक्षण दिनांक को प्रातः 8:00 बजे सी. आई. एफ. विभाग पर एकत्रित होंगे जहां से निरीक्षण दल निरीक्षण हेतु रवाना किए जायेंगे।
3. निरीक्षण समितियों द्वारा विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित सैड्यूल के अनुसार ही महाविद्यालयों का निरीक्षण किया जावे। महाविद्यालयों को निरीक्षण की सूचना सम्बद्धता शाखा द्वारा प्रदान की जावेगी।
4. निरीक्षण दल के सभी सदस्यों को निरीक्षण में जाना अनिवार्य है किसी विषम परिस्थिति में निरीक्षण में न जा पाने की छूट माननीय कुलपति महोदय द्वारा ही दी जावेगी।
5. सभी निरीक्षण दल महाविद्यालय द्वारा भरे जाने वाले निरीक्षण प्रोफार्मा को कार्यालय से आवश्यक रूप से प्राप्त करें एवं सभी सम्बन्धित आवश्यक दस्तावेज भी प्रोफार्मा के साथ संलग्न होना चाहिए।

- समिति का पंजीयन सर्टिफिकेट एवं वर्तमान सदस्यों की सूची
- शासन द्वारा प्रदान किया गया अनापत्ति प्रमाण पत्र
- महाविद्यालय में 28(17) के अंतर्गत कार्यरत शैक्षणिक स्टाफ की सूची एवं टेबल फोटो युक्त नियुक्ति पत्र, चयन समिति के कार्यविवरण एवं उनको दिये जाने वाले वेतन से संबंधित कागजात

- जमीन के दस्तावेज
- भवन के अनुमोदित नक्शे की प्रति
- शासी निकाय की बैठकों का विवरण
- कॉलेज कॉउंसिल की बैठकों का विवरण
- लाइब्रेरी एवं प्रयोगशालाओं के स्टाक रजिस्टर की फोटो प्रति
- पिछले सत्र की संबद्धता की अधिसूचना
- पिछले सत्र की निरीक्षण में लगाई गई शर्तों की शर्त पूर्ती के दस्तावेज
- बी.एड. महाविद्यालयों के संबंध में एन.सी.टी.ई. में जमा किए गए प्रपोजल की छायाप्रति
- महाविद्यालय भवन में लगाये गये सी.सी.टी.व्ही. कैमरों का विवरण
- जनरेटरी की उपलब्धता के दस्तावेज
- इंटरनेट की उपलब्धता के संबंध में दस्तावेज
- शिक्षकों की सूची फोटो सहित विश्वविद्यालय पर दर्शायी बेबसाइट के अनुरूप

6. भवन की फोटो, टीचिंग स्टाफ की निरीक्षण दल के साथ फोटो, लाइब्रेरी की फोटो आवश्यक रूप से संलग्न करें।
7. महाविद्यालय द्वारा प्रदान किए गए प्रोफार्मा एवं संलग्न दस्तावेज प्राचार्य द्वारा सत्यापित होने चाहिए।
8. बी.एड. महाविद्यालयों में सत्र 2020-21 के लिए प्रति यूनिट (50 सीट) 1-7 का स्टाफ मान्य किया जावे।
9. प्रोफार्मा के तीसरे कॉलम में शर्ट फाल का स्पष्ट उल्लेख तथा निरीक्षण के दिन प्रोफार्मा पर प्राचार्य के हस्ताक्षर, दिनांक तथा सील सहित।
10. निरीक्षण की सी.डी. जिसमें निरीक्षण की कार्यवाही रिकॉर्ड की गयी है। रिपोर्ट के साथ आवश्यक रूप से जमा कराना है।

डायरेक्टर
महाविद्यालयीन विकास परिषद्

DISK:T/ Tarun Shrivastava/All Letter's/DCDC/J.U.